बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

संख्या–15/आरोप (नि0 प्रति0) गोपालगंज 02–94/2022– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

विभागीय जाँच दल द्वारा दिनांक–15.10.2022 को अंचल कार्यालय, फुलवरिया, गोपालगंज का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पायी गई अनियमितताओं यथा–दाखिल–खारिज वादों को पूर्व में अस्वीकृत करने और बाद में पुनः उसी वादों को पूर्व के दस्तावेजों के आधार पर स्वीकृत करने, परिमार्जन संबंधी मामले को आवेदक को बगैर सूचना दिये ही अस्वीकृत करने एवं ऑनलाईन जमाबंदी सुधार के मामले को लंबित रखने जैसे मामलों में श्री श्याम सुन्दर राय, तत्कालीन अंचल अधिकारी, फुलवरिया, गोपालगंज के विरूद्ध आरोप प्रतिवेदित किये गये है।

2. उक्त निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर श्री राय को विभागीय संकल्प सं0–2049(15) दिनांक–26.12.2022 द्वारा निलंबित करते हुए उनके विरूद्ध विभाग स्तर पर आरोप पत्र गठित किया गया।

3. गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों के संबंध में विभागीय पत्रांक–458(15), दिनांक–03.03.2023 द्वारा आरोपी पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग की गई, जिसके आलोक में श्री राय द्वारा दिनांक–28.03.2023 से स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया गया।

4. गठित आरोप पत्र एवं आरोपी के स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प संख्या–118(15), दिनांक–19.01.2024 द्वारा श्री राय के विरूद्ध आरोप पत्र में अंकित आरोपों की सम्यक् जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17(2) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। इस विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता, गोपालगंज को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

5. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं0–13888 दिनांक–21.07.2023 की कंडिका–5(iii) में निहित प्रावधान के आलोक में अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–06.02.2024 को आयोजित बैठक में समीक्षोपरान्त श्री राय को विभागीय संकल्प सं0–427(15) दिनांक–15.03.2024 से निलम्बन मुक्त किया गया।

6. अपर समाहर्त्ता–सह–संचालन पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक–2762/रा0, दिनांक–22.07.2024 द्वारा श्री राय के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में सभी आरोपों को प्रमाणित बताया गया।

7. जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोपों के आलोक में विभागीय पत्रांक–2213(15), दिनांक–24.10.2024 द्वारा श्री राय से द्वितीय कारण पृच्छा/अभ्यावेदन समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया, जिसके आलोक में श्री राय द्वारा अपना द्वितीय कारण पृच्छा/अभ्यावेदन विभाग में समर्पित किया गया।

8. श्री राय के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन एवं श्री राय के द्वितीय कारण–पृच्छा/अभ्यावेदन के समीक्षोपरान्त पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन एवं अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के आधार पर स्वंय भी स्थलीय एवं भू–राजस्व अभिलेखीय जाँच के उपरांत ही दाखिल–खारिज वादों की स्वीकृति/अस्वीकृति दी जानी चाहिए थी, जो आरोपी पदाधिकारी द्वारा नहीं किया गया है। आरोपी पदाधिकारी द्वारा इस स्तर पर चूक की गई है। आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मियों पर दोषारोपण करते हुए अपने पदीय उत्तरदायित्व एवं कर्त्तव्य से विमुख होने का प्रयास किया गया है, साथ ही दाखिल–खारिज अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अपने अधीनस्थ कर्मियों पर दोषारोपण का अभिप्राय यह है कि उनका अपने अधीनस्थ कर्मियों/कार्यालय पर प्रभावी नियंत्रण नहीं है जो उनके कमजोर नेतृत्व क्षमता/

कार्यालय प्रबंधन का द्योतक है। परिमार्जन के कतिपय मामले में आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा अभ्यावेदन में यह प्रतिवेदित किया जाना कि ऑफलाईन पंजी–2 में खेसरा नहीं रहने के कारण अस्वीकृत किया गया स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि परिमार्जन आवेदन को रद्द करने से पूर्व आवेदक से आवश्यक साक्ष्यों की मांग करते हुए निष्पादन किया जाना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया, जबकि दाखिल–खारिज वाद के मामले में आवेदक से वांछित साक्ष्य की मांग की गई है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आरोपी पदाधिकारी का द्वितीय कारण–पृच्छा अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

अतः श्री राय से प्राप्त स्पष्टीकरण, आरोप की प्रकृति एवं विभागीय समीक्षा के उपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री राय को **"निन्दन"(आरोप वर्ष–2022–23)** संसूचित करने का निर्णय लिया गया।

9. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री श्याम सुन्दर राय, तत्कालीन अंचल अधिकारी, फुलवरिया, गोपालगज सम्प्रति राजस्व अधिकारी–सह–कानूनगो, बंदोबस्त कार्यालय, अररिया के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14(I) के तहत **"निन्दन" (आरोप वर्ष–2022–23)** का दंड अधिरोपित करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (नि0 प्रति0) गोपालगंज 02–94/2022– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

ई–मेल
स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपि :– समाहर्त्ता, गोपालगंज एवं अररिया/कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज एवं अररिया/श्री श्याम सुन्दर राय, राजस्व अधिकारी–सह–कानूनगो, बंदोबस्त कार्यालय, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–

(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (नि0 प्रति0) गोपालगंज 02–94/2022– 120 (15)/रा0, पटना–15, दिनांक– 09/02/2026

प्रतिलिपिः–माननीय उपमुख्यमंत्री–सह–विभागीय मंत्री के आप्त सचिव /प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/अपर सचिव, प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. अपर सचिव, प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3 से अनुरोध है कि उक्त दण्ड की प्रविष्टि **श्री श्याम सुन्दर राय** के सेवापुस्त में कराते हुए प्रशाखा–15 को अवगत कराने की कृपा की जाए।

05/02/26
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।